

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION AFFILIATION OF SCHOOL

Kindly Take The PrintOut Of This Page

REGISTRATION PAGE **Registration No: EX-01347-1011**

You have successfully submitted Application On-line. kindly take the printout of this page and send the same along with Bank Draft (in favour of "Secretary, CBSE Delhi", payable at Delhi) to "The Secretary, Central Board of Secondary Education, Shiksha Kendra, 2 Community Centre, Preet Vihar, Delhi 110092" for further processing. The application will be processed only after receipt of the Bank Draft and Registration Page on First Come First Served basis. Therefore, the documents may be sent so as to reach CBSE, Delhi immediately and , in any case, not later than **30th June 2009** in order to be eligible for affiliation for session **2010-11**

School Name	BANSI VIDYA NIKETAN SR SEC SCHOOL
Head of the School	MS ANJU DAGAR
Complete Mailing Address	RAJIV COLONY SECTOR 56-A BALLABGARH FARIDABAD HARYANA,ballabgarh,121004
District	FARIDABAD
State	HARYANA
Applied For	Extension of Provisional Affiliation

LIST OF ENCLOSURES

- | | |
|---|-----|
| 1. A Scanned copy of Reserve Fund maintained as per norms. | yes |
| 2. A Scanned copy of EPF code No. allotted by the EPF department. | yes |
| 3. A Scanned copy of Affidavit to the effect that the school is not sponsoring candidates for Board's Examination of any other School/Branch, which is not affiliated to the Board. | yes |

Details Of Bank Draft

Bank Draft No.	003688
Amount	12500
Date of Issue	5/23/2009
Name of the Issuing Bank	Union Bank of India
Address of the Issuing Bank	Village- Jharsently Sec-59 Faridabad

CERTIFIED THAT

The information provided is true to the best of my knowledge. The school is not sending candidates of any other Board/University for examination. The school is run by a registered society which is of a non-proprietary character and its constitution is such that it does not vest control in a single individual or members of a family and the aim of the society is to impart quality education to the children and not to earn profit.

Place:

Signature & Seal

Date:

Principal

MS ANJU DAGAR

Counter Signed by President/Manager/Secretary/ Chairman of the Trust/Society

Signature with Stamp

Name & Designation

**Sh. Narayan Singh
Dagar,Chairman**

Forwarded and Recommended

To be signed only in case NOC or separate letter is not enclosed.
Director of Education State/UT, First Secretary Embassy of India
in case of Foreign Countries

Signature with Stamp

Name & Designation

आदेश क्रमांक बी-1-2000/ 1347-51

दिनांक :- 31/8/2000

विषय :- माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

बंगाली विद्या निदेशक मिडल स्कूल राजीव गांधी

संख्या-95/1347-51 की 1-4-2000

वे छटी वे अधीन तह [निर्दिष्ट विभाग] तह की स्थाई मान्यता निम्नोक्तियों पर प्रदान की जाती है :-

1. वंश्या शिक्षा विभाग द्वारा यह किमी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय वहायका की मांग नहीं होगी तथा अने ही जे पर स्तूत पतावेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में कमी रोफार जार्यात के माध्यम से रवी जायेगी ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के उः माप के वेतन के तरावर की राशि शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम पतेड करागेन । यदि राशि पतेड न कराई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान फेड के द्वारा किया जाएगा ।
5. कमी अध्यापकों की सीपीएस की राशि स्थानीय देड में जमा कराई जाये ।
6. वंश्या की धरा 214-219 के अन्तर्गत कमी सुवेत जोड ईतों को दूरा जला होना जोड किमी भी अन्य निर्देश के दौरान किमी भी प्रकार की अन्योन्यता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. सीपीएस रेड्वात तथा त्योठ फंड की राशि का धार विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अन्त के पक्षे शिक्षा आयोग अधिकारी के कार्यलय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग को कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिजार्ड एवं स्वीकृत कार्य को किमी भी अन्य फेड कर छुटा है ।
9. सुवेत कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भ्रम इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना होगा ।

राजु बीरा
शिक्षा निदेशक
फरीदाबाद ।

पुष्पाञ्जलि क्रमांक: 100:-

दिनांक :-

इसकी रू प्रीत निम्नोक्तियों को दुपार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निदेशक केन्द्र की शिक्षा धीराना रजिस्ट्रार ।
2. उपन्यास शिक्षा अधिकारी पटना/फरीदाबाद ।
3. उपन्यास शिक्षा अधिकारी पटना/फरीदाबाद ।
4. कोई अन्य रूत सुचना उपन्यास/पटना/फरीदाबाद ।

शिक्षा निदेशक
फरीदाबाद ।

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी - फरीदाबाद

आदेश क्रमांक : जी - 1/00 / 1654-57

दिनांक : 12.9.2020

BANSHI VIDYA NIKETAN SCHOOL RAJEEV COLONY SEC 25
FARIDABAD

को कक्षा पहली से पांचवी तक शिक्षा कोड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विभाग तक तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्तों पर स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और सरकार से किसी पद या ग्रांट की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों एवं शर्तों तथा एजुकेशन कोड की धारा 214 के तहत सभी नियमों एवम शर्तों को मानने के लिये बाध्य होगा।
3. विद्यालय स्टाफ का वेतन समय-2 पर संशोधन होने पर नियम अनुसार संशोधित राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम से छः मास के वेतन के बराबर राशि पलैज करवाने को बाध्य होगा।
4. भावी नियुक्तिया / विभाग / सरकार द्वारा जारी नियमानुसार की जायें।
5. स्टाफ का जी.पी.एफ. 2 सी.पी.एफ. सरकार के नियमानुसार चालू किया जाये।
6. फण्डो केशेयर नियम अनुसार इस कार्यालय में भेजे जायें।
7. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय रिकार्ड एवं शैक्षिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है।

हरिबंश शर्मा
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद (हरियाणा)

पृ० क्रमांक : सम :

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी..... नरेश कुमार - I
3. सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया।
4. अनुभाग अधिकारी स्थानीय।

Harbansh
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद (हरियाणा)

12/9/2020

सेवा में,

प्रबन्धक / मुख्य अध्यापक

मंत्री विद्या निवेशन एंड स्कूल

राजीव गांधी एजुकेशन फंड

दिनांक: 1/2/2001 से 31/3/2002 = 1721

दिनांक 31-3-2001

विषय: अस्थाई मान्यता

संदर्भ: आप द्वारा अस्थाई मान्यता हेतु भेजी गई फरईल के संदर्भ में।

आप की वर्ष 2001-2002 के लिए दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2002 के लिए कक्षा ...सली... से ...दस्तावेज... तक अस्थाई मान्यता (प्रोविजनल) निम्नलिखित अंकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। यह मान्यता का ...प्रयोजन... अवसर है।

1. इस कार्यालय द्वारा दी गई अस्थाई मान्यता के आधार पर आप किसी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेंगे और नियमानुसार विद्यार्थियों को भी सुविधाएं अपने स्वयं पर प्रदान करेंगे।
2. सभी विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर इत्यादि का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।
3. पढ़ाये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपर्युक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरण का पूरा प्रबंध करें।
4. अध्यापकों की नियुक्तियां हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार की जाए तथा ट्रेन्ड अध्यापकों को ही लगाया जाए।
5. स्टाफ का वेतन चेक के द्वारा ही दिया जाए।
6. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाए।
7. यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में लाईब्रेरी हो तथा विषयों की प्रर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हों।
8. यदि आपकी मैनेजमेंट कमेटी शिक्षा विभाग से अनुमोदित नहीं हो तो उसके कार्यालय/विभाग द्वारा अनुमोदित करवाएं 9. हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की धारा 214, 215 एवं 222 की दृढ़ता से पालना की जाए।
10. संस्था में कार्यरत स्टाफ के वेतन का छः माह के बराबर राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लेज कराई जाए।
11. संस्था में कार्यरत के लिए पी० एफ० का स्वयं लागू की जाए।
12. खेल के मैदान का उचित प्रबंध किया जाए।
13. नियम के अनुसार भवन का कवर्ड एरिया बढ़ाया जाए तथा भवन का नक्शा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से बनवाकर भेजा जाए चठशाला भवन संस्था/सोसाइटी के नाम रजिस्टर्ड/लीज पर कराया जाए।
14. छत्र निधियों की शेयर मनी नियमानुसार समय पर जमा कराई जाए।
15. शिक्षा विभाग/सरकार के किसी भी अधिकारी को विद्यालय के रिकॉर्ड की जांच करने का पूरा अधिकार होगा और यदि किसी समय जवाब दिया कि प्रबन्धक/मुख्य एजुकेशन बोर्ड की धारा 214 का उल्लंघन कर रहे हैं तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उपरोक्त शर्तों को छः मास की अवधि में पूरा कर दिया जाए।

क्रमांक संख्या :

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद।
2. निदेशक सेक्रेटरी शिक्षा हरियाणा चंडीगढ़।
3. नचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विभागी।

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी

फरीदाबाद

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी

फरीदाबाद

**OFFICE OF THE COMMISSIONER CUM DIRECTOR GENERAL SCHOOL
EDUCATION, CHANDIGARH**

ORDER NO. 13/97-2004 PS(2)

DATED, CHANDIGARH, 29.06.2006

ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, Rules, 2003, sanction is hereby accorded to grant permanent recognition to **Bansi Vidya Niketan Sr. Sec. School, Rajiv Colony, Ballabgarh (Faridabad)** for Class **1st to 12th (Arts, Commerce and Science Stream)** under **BOSE** pattern with effect from **01.04.2006** run by **Managing Committee, Dagar Vishwa Bharti Shiksha Samiti, Sohna Sahaipur Road, Ballabgarh (Faridabad)** following terms and conditions: -

TERMS & CONDITIONS: -

1. The school shall follow the course of study as per syllabus prescribed by the affiliated board.
2. The school shall charge fees and funds as declared to the appropriate authority at the time of application for recognition and display the same on the notice board of the school and shall not increase the fees during the any academic session. In case of change in the fee structure the school shall inform to the appropriate authority in the month of January for the next academic year and will also issue printed receipt of fees/funds to the students.
3. Salary shall be paid as per declaration at the time of seeking recognition.
4. No capitation fee and other charges shall be charged from the children/parents.
5. School shall be open for admission without any discrimination based on religion, caste, race, place of birth or any other whimsical.
6. Managing Committee shall not allow to run two schools affiliated by different board/council in the same premises.
7. Managing Committee shall not close down the school or an existing class during the academic session without the prior approval of the appropriate authority.
8. The school shall be open for inspection for the inspecting officer authorized by the Director/Appropriate Authority.
9. Recognition so granted shall be reviewed after every 10 years.
10. No financial assistance shall be granted by the Department to the school.
11. School premises shall not be used for commercial purpose and anti National activities.
12. Approval of Managing Committee shall be obtained from the appropriate authority in case of any change in the committee.
13. The Managing Committee shall follow the instructions issued by Government/Director from time to time and supply the information to the Govt./ Department as required.
14. In addition to above the Managing Committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules, 2003 and amendments if any thereafter. The Managing Committee shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules.
15. School will provide ramp within six months.

K.K. Khandelwal


**Commissioner cum Director General
School Education, Haryana, Chandigarh**

Dated, Chandigarh. the 29.06.2006

Endst. No. even

A copy is forwarded to the following for information and necessary action: -

1. Managing Committee **Dagar Vishwa Bharti Shiksha Samiti, Sohna Sahaipur Road, Ballabgarh (Faridabad).**
- ✓ 2. District Education Officer **Faridabad.**
3. Secretary, Board of School Education, **Bhiwani.**
4. Additional Deputy Commissioner, **Faridabad.**
5. Copy for master file.


**Superintendent Private School
for Commissioner cum Director
General School Education, Haryana, Chandigarh.**